श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 2018)

SHRI KASHI VISHWANATH SPECIAL AREA DEVELOPMENT BOARD VARANASI ACT, 2018

(U.P. Act No. 31 of 2018)

*श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अधिनियम, 2018[1]

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने 01 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित हुआ]

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, की, उसकी अधिकारिता के अधीन विशिष्ट क्षेत्र में उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप पर्यटन के उन्नयन हेतु सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, पौराणिक और स्थापत्य संबंधी सौन्दर्यबोध विकसित ओर अनुरक्षित करने हेतु उक्त विशिष्ट क्षेत्र का सृजन, प्रतिपादन, क्रियान्यवन और विनियमन के निमित्त, स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी अधिनियम, 2018 कहा जायेगा ।

*(2) यह दिनांक 29 जून, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा न हो, इस अधिनियम में,

(क) "अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने और उसकी अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

(ख) "सुख–सुविधाओं" में सड़क, पथ, जल और विद्युत आपूर्ति, पथ प्रकाश, खुले क्षेत्र, पार्क, प्राकृतिक विशिष्टताएं, जल–निकास मल वहन, लोक कार्य तथा अन्य उपयोगिताएं, सेवाएं एवं सुविधाएं सम्मिलित है ;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित श्री काशी विश्वविनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद से है ;

(घ) "भवन" में किसी भी सामग्री से निर्मित कोई संरचना या संरचना का आंशिक भाग सम्मिलित है जो मानव निवास या पशुधन या सम्पत्ति की अभिरक्षा या पूजा सम्पादन स्थल के रूप में या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किया जाना आशयित है ;

(ङ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के लिए इस अधिनियम के अंत में देखें।

* यह अधिनियम 29 जून, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(च) "आयुक्त" का तात्पर्य वाराणसी मण्डल के आयुक्त से है ;

(छ) अपनी व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ "विकास" का तात्पर्य भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके अधीन निर्माण, अभियन्त्रण या अन्य क्रियायें करके किसी क्षेत्र के सुनियोजित विकास से है ;

(ज) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से है ;

(झ) "पुनर्वास योजना" का तात्पर्य ऐसी किसी योजना से है जिसे ऐसे निवासियों, स्वामियों अधिभोगियों को व्यवस्थित एवं पुनर्वासित करने के उद्‌देश्य से अनुमोदित नियमावली तथा विनियमावली की अपेक्षानुसार परिषद् द्वारा तैयार की जायेगी जिन्हें परिषद द्वारा तैयार की गयी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विकास क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पुर्नस्थापित किया जाना हो ;

(ञ) "विशिष्ट विकास क्षेत्र" का तात्पर्य राजस्व जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित अधिसूचित सजरा बन्दोबस्त योजना में चिन्हित सीमाओं के अधीन अधिसूचित विशिष्ट विकास क्षेत्र से है जिसमें निम्नलिखित वार्ड है : ––

क्र0 सं0	वार्ड का नाम	वार्ड विस्तार
1	दशाश्वमेध	डी – 1 लाहौरीटोला डी – 2 धर्मकूप डी – 3 मीरघाट डी – 5 त्रिपुरभैरवी (अंश) डी – 6 रानीभवानीगली डी – 7 शकरकंदगली डी – 8 कालिकागली डी – 10 साक्षीगली डी – 11 कोतवालपुरा
2	गढ़वासीटोला	सी, के – 1 पठानीटोला सी, के – 9 मणिकर्णिका सी, के – 10 ब्रम्हनाल सी, के – 28 पंचपाण्डवा सी, के – 31 ज्ञानवापी सी, के – 34 लाहोरीटोला

अथवा ऐसे क्षेत्रों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय,

(ट) "अंतरिती" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे कोई सम्पत्ति परिषद द्वारा यथाविहित प्रयोजनार्थ अन्तरित की गयी हो या की जा रही हो ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में क्रमशः उनके लिय समनुदेशित है ।

परिषद की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक परिषद स्थापित करेगी जिसे श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी ।

(3) परिषद का मुख्यालय वाराणसी मे होगा ।

परिषद की संरचना

4–(एक) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति – अध्यक्ष

(दो) मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य सचिव

(तीन) जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी – सदस्य

(चार) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य

(पांच) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी – सदस्य

(छः) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी – सदस्य

(सात) नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी – सदस्य

(आठ) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी – सदस्य

(नौ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी – सदस्य

(दस) अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी – सदस्य

(ग्यारह) अधीक्षण, अभियन्ता, जल निगम, वाराणसी – सदस्य

(बारह) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी – सदस्य

(तेरह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग अथवा उसका नाम–निर्देशित, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो – सदस्य (पदेन)

(चौदह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अथवा उसका नाम–निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो – सदस्य (पदेन)

(पन्द्रह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग, अथवा उसका नाम–निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो – सदस्य (पदेन)

(सोलह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम–निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो – सदस्य (पदेन)

(सत्रह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग या उसका नाम–निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो – सदस्य (पदेन)

(अट्ठारह) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले तीन ऐसे व्यक्ति, जो कला, वास्तुकला, संस्कृति, इतिहास या साहित्य में अनुभवी हो – सदस्य

2– अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ;

3– परिषद के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि के विद्यमान होने के कारण परिषद की कोई कार्यवाहियाँ या प्रक्रिया अविधिमान्य नही होगी ।

परिषद के कर्मचारिवृंद

5–(1) परिषद के पास अपने कार्यालय एवं दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिये स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारिवृन्द होगा ;

(2) परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन कर सकती है ;

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारिवृंद के वेतन एवं भत्तों सहित सेवा की निबन्धन एवं शर्तो का अंतिम, रूप, राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रदान किया जायेगा ;

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अधियाचित कर सकती है ;

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारिवृंद, अध्यक्ष, जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा, के प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण में होगा किन्तु वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपने कर्तव्यों को निवर्हन करेंगे ।

परिषद की शक्तियाँ और कृत्य

6–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद का कार्यपालक प्रमुख होगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा और आदेश पारित करेगा ;

(2) (क) परिषद यथाशक्य शीघ्र विशिष्ट विकास क्षेत्र के लिये एक योजना तैयार करेगी ;

(एक) उक्त योजना मे विभिन्न क्षेत्र परिभाषित होंगे जिसमें ऐसे क्षेत्रों में विकास के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्र की भूमि और किये जाने वाले विकास के प्रक्रम उपदर्शित हो सकते है ; उक्त क्षेत्र मूल ढांचा कार्य पद्धति के रूप में कार्य कर सकते है जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी योजनायें तैयार की जा सकती है ;

(दो) उक्त योजना मे ंऐसे क्षेत्र के समुचित विकास के लिये आवश्यक किसी अन्य मामले का उपबंध हो सकता है ;

(ख) परिषद यथा अपेक्षित पुनर्वास योजना तैयार करेगी और उसे विशिष्ट विकास क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनः स्थापित किये जाने वाले निवासियों, स्वामियों या अधिभोगियों को व्यवस्थापित करने तथा पुनर्वासित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करायेगी ;

(ग) परिषद अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाली विरासत को संरक्षित करने की दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे निष्पादित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी

कि परिवेश, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् सजरा बन्दोबस्त योजना के अनुसार है,

(3) राज्य सरकार द्वारा दिय गये निर्देशो के अध्यधीन परिषद, पारस्परिक वार्ता, क्रय, दान, अन्तरण, पट्टा किराया या अन्यथा के माध्यम से किसी भवन या भूमि का अर्जन कर सकती है । वह तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि, भवनों को भी अर्जित कर सकती है और स्थानीय समाचार–पत्र/गजट मे ऐसे व्यक्तियों को अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करायेगी जिनके पास ऐसी सम्पत्ति के लिये दावा या हित हों ;

(4) राज्य सरकार, ऐसे निबंधन एवं शर्तो द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, अपने नियंत्रणाधीन या किसी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन कोई भूमि परिषद में निहित कर सकती है ;

(5) परिषद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नीलामी, आवंटन या अन्यथा द्वारा परिषद से संबंधित किसी भूमि या भवन का ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाय, विक्रय कर सकती है, पट्टा कर सकती है, किराये पर दे सकती है या अन्यथा अन्तरित कर सकती है ;

(6) परिषद ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तो पर ऐसी अवधि के लिये, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, लाइसेंस नवीकृत कर सकती है और विशिष्ट विकास क्षेत्र में कोई व्यवसाय या व्यापार कर सकती है ;

(7) विशिष्ट विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजन के लिये परिषद ऐसे निदेश, जिन्हें वह उचित समझे, निम्नलिखित के संबंध में जारी कर सकती है,——

(क) विनियमावली का उल्लंघन किये जाने पर किसी भवन के परिनिर्माण या अधिभोग पर प्रतिबंध ;

(ख) किसी भवन की ऊँचाई या अग्रभाग के स्थापत्य संबंधी विशेषताओं का संरक्षण;

(ग) किसी कार्य स्थल पर भवनों का अभिन्यास एंव संरेखण ;

(घ) भवनो में ओर उनके चारों ओर अनुरक्षित किये जाने वाले खुले स्थानों तथा भवनों की ऊँचाई और उनके स्वरूप से संबंधित निर्बधन एवं शर्ते ;

(ङ) ऐसे आवासीय भवनों की संख्या जो किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकते है ;

(च) दुकानों, कार्यशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनो के परिनिर्माण ;

(छ) दीवारों, बाड़ों झाड़ियों या किसी अन्य संरचना या स्थापत्य निर्माणों की ऊँचाई वह स्थिति का अनुरक्षण ;

(ज) सुख–सुविधाओं का अनुरक्षण ;

(झ) जिस प्रयोजन के लिये स्थल आवंटित किया गया हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु किसी स्थल के प्रयोग का निर्बधन ;

(ञ) समुचित (एक) अपशिष्ट जल निकासी (दो) अपशिष्ट निपटान और (तीन) नगर कचरा निपटान हेतु उपबंधित किये जाने वाले साधन ;

(ट) भवनों के बाहरी और विभाजक, दीवारों, छतों, फर्शों एवं अन्य भागों, उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण पद्धति हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियाँ ;

(ठ) योजनायें प्रस्तुत किये जाने के लिये आवश्यक एवं आनुषंगिक प्रमाण–पत्र, संशोधित योजनायें एवं समापन और/या अधिभोग प्रमाण–पत्र ।

स्थल या भवन के समुचित अनुरक्षण को विनियमित करने की शक्ति

7–यदि परिषद को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या भवन की दशा या उसके उपयोग से विशिष्ट विकास क्षेत्र के किसी भाग में सुख सुविधाओं के समुचित नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ना सम्भावित है तो वह उस स्थल या भवन के अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी को उससे यह अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकती है कि वह ऐसे उपाय ऐसी अवधि मे करे जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय और तत्पश्चात् इसे ऐसी रीति से अनुरक्षित रखे जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय और यदि ऐसा अन्तरिती, अधिभोगी या स्वामी ऐसे उपाय करने में या तत्पश्चात् इसका अनुरक्षण करने में विफल हो जाय तो परिषद स्वयं उसका समुचित अनुरक्षण करने हेतु उपाय कर सकती है और इस पर उपगत लागत ऐसे अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी से वसूल सकती है।

कर एवं सेवा प्रभारों का उदग्रहण

8–(1) विशिष्ट विकास क्षेत्र में सुख सुविधायें प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के प्रयोजनों के लिये, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थल या भवन के संबंध में उसके अंतरिती या अधिभोगी से ऐसा कर या सेवा शुल्क अधिग्रहीत कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कुल कर भार, ऐसे स्थल या भवन के वार्षिक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नही होगा ;

स्पष्टीकरण : –– इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "वार्षिक मूल्य" का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174 में उपबंधित है ;

(2) यदि परिषद लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी अंतरिती या अधिभोगी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत कर से पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकती है ।

शास्ति

9–(1) जहाँ कोई अंतरिती, किसी प्रतिफल एवं धनराशि या उसके किस्त अथवा परिषद द्वारा किसी स्थल या भवन के अंतरण के कारण किसी अन्य देय धनराशि या किसी पट्टे के संबंध मे परिषद के प्रति देय किसी किराये के संदाय में कोई त्रुटि करता है अथवा जहाँ कोई अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी इस अधिनियम के अधीन उदग्रहीत किसी फीस या कर के संदाय में कोई त्रुटि करता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथास्थिति बकाया धनराशि के अतिरिक्त अंतरिती अधिभोगी या स्वामी से वसूल की जाने वाली धनराशि से अनधिक धनराशि का शास्ति अधिरोपित कर सकती है ;

(2) परिषद द्वारा किसी स्थल या भवन का अंतरण किये जाने के कारण प्रतिफल धनराशि या उसकी किसी किस्त का संदाय न किये जाने कि स्थिति में अथवा ऐसे अंतरण की किसी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या इस प्रकार अंतरित स्थल या भवन के किसी उपबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में तत्संबंध में संदत्त सम्पूर्ण या आंशिक धनराशि यदि कोई हो, अग्रतर समपहत हो सकती है ;

(3) जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी स्थल या भवन की अध्यपेक्षा के लिये आदेश करता है वहाँ कलेक्टर उसकी अध्यपेक्षा पर उसका कब्जा उसे प्रदान करा सकता है और उस प्रयोजन हेतु वह ऐसा बल प्रयोग कर सकता है या करने दे सकता है जैसा कि आवश्यक हों ।

भवन या भूमि का निरीक्षण करने और उसमें प्रवेश करने की शक्ति

10–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी खुले परिसर में सहायता के साथ या उसके बिना निम्न प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है :–

(क) कोई पूछताछ, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसी भूमि या भवन के स्तर लेना ;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण करना या मार्ग या मलनालियों या नालियों को अभिनिश्चित करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या कोई भवन स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन दिये गये किसी अनुमोदन के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जा रहा है या परिनिर्मित किया गया है और ऐसे उपाय करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जैसा कि प्रत्येक प्रयोजन के लिये आवश्यक हों ;

(घ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक कोई अन्य कार्य करना :

परन्तु यह कि : ––

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों के मध्य के सिवाय और अधिभोगी या यदि अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसी कोई प्रविष्टि नही की जायेगी ;

(दो) ऐसी भूमि या भवन से प्रत्याहत हो जाने के लिये महिलाओं, यदि कोई हो, को समर्थ बनाने के लिये प्रत्येक दृष्टांत में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा ;

(तीन) जहाँ तक प्रवेश के प्रयोजन की अत्यावश्यकताएं, भूमि या भवन के अधिभोगियों में प्रविष्ट सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप हो वहाँ तक सदैव सम्यक् रूप से ध्यान दिया जायेगा ;

(2) ऐसी भुमि या भवन मे निवास करने वाले या उक्त भूमि या भवन के किसी प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मांग पर उसे स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देगा और उपधारा (1) में यथा उल्लिखित पूछताछ, निरीक्षण, माप, सर्वेक्षण या परीक्षण या अन्य गतिविधियों के लिये समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा ।

निधि

11–परिषद की अपनी ऐसी निधि होगी और उसे वह अनुरक्षित रखेगी जिसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेगी :––

(क) परिषद द्वारा राज्य सरकार से अनुदानों, ऋणों, अग्रिमों या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ख) परिषद द्वारा राज्य सरकार से भिन्न स्त्रोतो से ऋणों या डिवेंचरों के माध्यम से उधार ली गयी समस्त धनराशि ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा प्राप्त समस्त फीस, पथकर और प्रभार ;

(घ) परिषद द्वारा भूमियों, भवनों और अन्य जंगम और स्थावर संपत्तियों के निस्तारण से प्राप्त समस्त धनराशि ; तथा

(ङ) परिषद द्वारा किरायों और लाभों के माध्यम से या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(च) पूर्वगामी खण्डों के अधीन निधियों के अतिरिक्त, परिषद के पास ऐसे राजस्व स्त्रोतो, जैसा की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, के माध्यम से अपनी निधियों में वृद्धि करने की शक्तियां होंगी ;

2–इस अधिनियम के प्रशासन में परिषद द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने हेतु निधि का उपयोग किया जायेगा ;

3–राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन, परिषद किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता में अपनी निधियों में से ऐसी धनराशि, जैसा कि वह अपनी प्रत्याशित चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक समझे, रख सकती है और किसी अधिशेष धनराशि का इस रीति से विधिमान कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे ।

आय–व्ययक और लेखा

12–(1) परिषद अगले आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में परिषद की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए अपना आय–व्ययक तैयार करेगी और इसे राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित करायेगी ;

(2) परिषद समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगी और यथा विहित प्रपत्र में तुलन–पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी,

(3) परिषद के खाते, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा वार्षिक लेखा–परीक्षा किये जाने को अध्यधीन होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

13–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

14–परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे विनियम बना सकती है जैसा कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन बनाने के लिए अपेक्षित हो।

निदेश जारी करने की शक्ति

15–(1) राज्य सरकार के पास निदेश जारी करने की शक्ति होगी और परिषद, अधिनियम के दक्ष, प्रशासन के लिए समय–समय पर ऐसे निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगी ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में या उसके संबंध में परिषद और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्रत्यायोजन की शक्ति

16–(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारियों या परिषद द्वारा भी ऐसे मामलों मे और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अध्यधीन किया जा सकता है ;

(2) परिषद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति के सिवाय उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अध्यधीन किया जा सकता है ;

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसे निर्बंधनों, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश से अधिरोपित किया जाय, के अध्यधीन अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, किसी लिखित आदेश द्वारा परिषद के किसी अधीनस्थ अधिकारी को इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन यथास्थिति परिषद या अध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

17–राज्य सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इस हेतु किये गये किसी आवेदन के आधार पर कोई अभिलेख मंगा सकती है और इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का निष्पादन करने हेतु परिषद या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी मामले या आदेश के संबंध में किसी आदेश की विधिमान्यता या औचित्य पर स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ तत्संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसा निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे :

"परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल आदेश पारित नही करेगी।"

वार्षिक रिपोर्ट

18–परिषद, प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार, को ऐसे प्रारूप में और ऐसे दिनांक को या उस दिनांक के पूर्व जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगी।

छूट

19–इस अधिनियम में अनतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुये भी राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, के अध्यधीन किसी भूमि या भवन या भूमियों या भवन या भवनों के वर्ग को इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के समस्त या किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है ।

अपराध

20–(1) कोई भी व्यक्ति तैयार की गयी किसी योजना या परिषद या किसी अधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के उल्लंघन में विशिष्ट विकास क्षेत्र में किसी भूमि, स्थल परिसर या भवन का उपयोग नहीं करेगा या न करने देगा ;

(2) जो कोई परिषद या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निदेश या आदेश का अनुपालन करने में विफल रहेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी योजना या निदेश के उल्लंघन में कोई कृत्य करेगा या चूक करेगा उसे कारावास जो एक वर्ष तक हो सकता है, या अन्यून एक हजार रूपये के जुर्माना या दोनों के साथ दण्डित किया जायेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

21–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालनार्थ कम्पनी का प्रभारी था तथा उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही साथ कम्पनी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने तथा तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगेः

परन्तु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिये दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किये जाने से रोकने के लिये समस्त सम्यक् प्रयास किया था ;

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सहमति

से किया गया है या उनकी ओर से किसी अपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएगें और वह प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दंडित किये जाने के दायी होंगे ।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ ;

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यष्टि–संगम सम्मिलित है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है ।

अपराधों का संज्ञान

22–(1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन, इस निमित्त परिषद द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित में की गयी शिकायत के सिवाय किन्हीं अपराधों का संज्ञान नही लेगा,

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण, ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से अवर न हो ।

अपराधों का प्रशमन

23–(1) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, कार्यवाहियाँ संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तद्निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से प्रशमन फीस के संदाय से सम्बन्धित किसी निबंधन सहित ऐसे निबंधनों, जैसा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसा अधिकारी उचित समझे, पर किया जायेगा ;

(2) जहाँ किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहाँ अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो को उन्मोचित कर दिया जाएगा और प्रशमित अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई अग्रतर कार्यवाहियाँ नही की जायेंगी ।

सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे

24–परिषद का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य और उसके प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

अभियोजन की स्वीकृति

25–इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के सिवाय कोई अभियोजन संस्थित नही किया जायेगा ।

आदेशों और दस्तावेजों का अधिप्रमाणन

26–परिषद की समस्त अनुज्ञाएं, आदेश, विनिश्चय, नोटिस और अन्य दस्तावेज मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

वाद और अन्य कार्यवाहियां

27–किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के लिए नही होगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली या विनियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की जाय या की जानी आशयित हो।

सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल

28–परिषद के अध्यक्ष और परिषद के पदेन सदस्यो से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा :

परन्तु यह कि परिषद का अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने कार्यकाल के समाप्त होते हुए भी तब तक पद धारण करता रहेगा/रहेगी जब तक उसका/उसकी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारिणी पद धारण नही कर लेगा/लेती है ।

परिषद का विघटन

29–(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के

अधीन स्थापित परिषद के उद्देश्यों की मौलिक रूप से प्राप्ति हो गयी है जिससे राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर अस्तित्व बना रहना अनावश्यक हो गया है वहां राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा और तद्नुसार परिषद विघटित किया गया समझा जायेगा ;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक से,

(क) परिषद में निहित और उसके द्वारा निर्मोचनीय समस्त संपत्तियां, निधियां और देय, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे या उसके भरोसेमंद हो जायेंगे ;

(ख) परिषद के निस्तारण पर रखी गयी समस्त भूमियाँ, राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएगी ;

(ग) परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय समस्त दायित्व, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय हो जायेंगे ;

(3) परिषद द्वारा सम्यक रूप से क्रियान्वित न किये गये किसी विकास को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ और उपधारा (दो) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को उन्मोचित करने के प्रयोजनार्थ परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

30–यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों जैसा कि उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नही किया जायेगा ।

अध्यारोही प्रभाव

31–अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लागू होंगे ।

निरसन और अपवाद

32–(1) श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

जिला वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शंकर के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है जिसके कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है । यह पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में भी उत्तर प्रदेश राज्य का एक विशिष्ट स्थल है । इससे सम्बंधित क्षेत्रों के पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदीं से मंदिर प्रक्षेत्र तक के सम्पर्क मार्गों और संबंधित प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करने तथा विद्यमान प्राचीन मंदिरों की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाये रखने, उनकी जीर्णोद्धारपरक, सुदृढ़ता विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गयी है। मानचित्र में चिन्हित उपलब्ध क्षेत्र में तीर्थ, यात्रियों, श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की निरन्तर विद्यमानता बनाये रखने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि गुणवत्तापरक अवसंरचनात्मक विकास को पूरा करके उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी की, उसकी अधिकारिता के अधीन विशिष्ट क्षेत्र में उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप पर्यटन के उन्नयन हेतु सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, पौराणिक और स्थापत्य संबंधी सौन्दर्यबोध विकसित और अनुरक्षित करने हेतु उक्त विशिष्ट क्षेत्र का सृजन, प्रतिपादन, क्रियान्यवन और विनियमन के निमित्त, स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए एक विधि बनायी जाय ।

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जून, 2018 को श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2018) प्राख्यापित किया गया ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है ।